बच्चों से सम्बन्धित मुद्दे

विषय सामग्री

क्रमांक	सामग्री	समय (मिनट)	स्लाइड संख्या
1	उद्देश्य	10	5
2	परिचय	10	6
3	UP112 में बच्चों से सम्बन्धित दर्ज हुए घटनाओं के आंकड़े	10	7
4	बच्चों से सम्बंधित घटना का प्रकार एवं उप प्रकार	20	8-15
5	केस स्टडी	25	16-17
6	बच्चों के प्रति अपराध के कारण	30	18
7	बच्चों से सम्बन्धित हिंसा के प्रकार	30	19
8	बालकों से सम्बन्धित प्रमुख कानूनी सिद्धान्त	20	20-28
9	बच्चों के साथ होने वाले अपराध	25	29

विषय सामग्री

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

क्रमांक	सामग्री	समय (मिनट)	स्लाइड संख्या
12	शिशु हत्या तथा क़ानूनी प्रावधान	10	39-42
13	बालश्रम तथा क़ानूनी प्रावधान	10	43-59
14	अपहरण/ व्यपहरण तथा कानूनी प्रावधान	25	50-59
15	केस स्टडी	25	60-62
16	बालविवाह तथा क़ानूनी प्रावधान	30	63-67
17	लैंगिक भेदभाव	25	68
18	PRV की भूमिका	20	69-81
19	बच्चों से सम्बन्धी मामलों में PRV कर्मियों को आने वाली समस्याएँ	40	82
20	हेल्प लाइन नम्बर	20	83-84
21	क्विज़, प्रश्नोत्तर, निष्कर्ष, सन्दर्भ, धन्यवाद	10	85- 91

उद्देश्य

इस सत्र के पश्चात आप निम्न में सक्षम होंगे:

- घटना की गंभीरता को समझते हुए विधि सम्मत कार्यवाही करने में
- सम्बन्धित संस्थाओं तथा विभागों के साथ उचित समन्वय स्थापित करने में
- बाल अधिकारों के सन्दर्भ में जागरुकता फैलाने में
- अपने गश्त क्षेत्र में संवेदनशील स्थानों पर विशेष ध्यान देने में

परिचय

बालक: वह व्यक्ति जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है |

स्त्रोत : धारा 02 (12) किशोर न्याय (बालकों के देख-रेख और संरक्षण अधिनियम 2015)

- भारत में बच्चों के खिलाफ 50% से अधिक अपराध पांच राज्यों में होते हैं जिनमें- उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, दिल्ली और पश्चिम बंगाल हैं, (सूत्र: NCRB)
- इसमें उत्तर प्रदेश सर्वाधिक मामलों के साथ शीर्ष पर है, (सूत्र: NCRB)

Child Sexual Abuse (01st Apr 2023 to 31st March 2024)

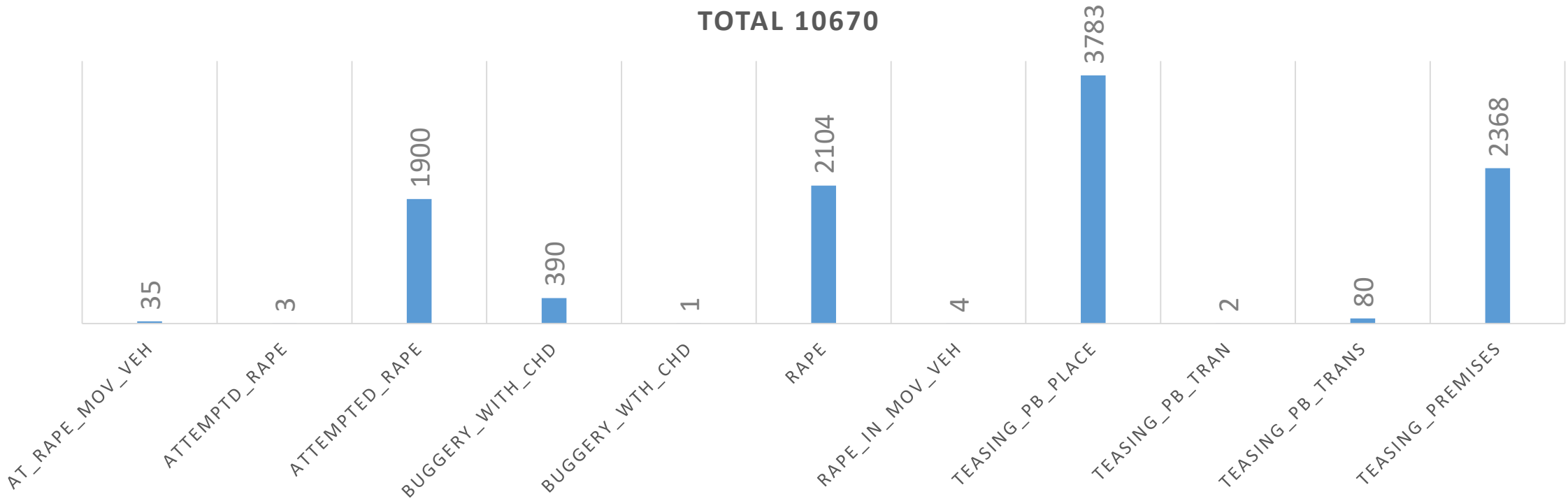

Child Crime (01st Apr 2023 to 31st March 2024)

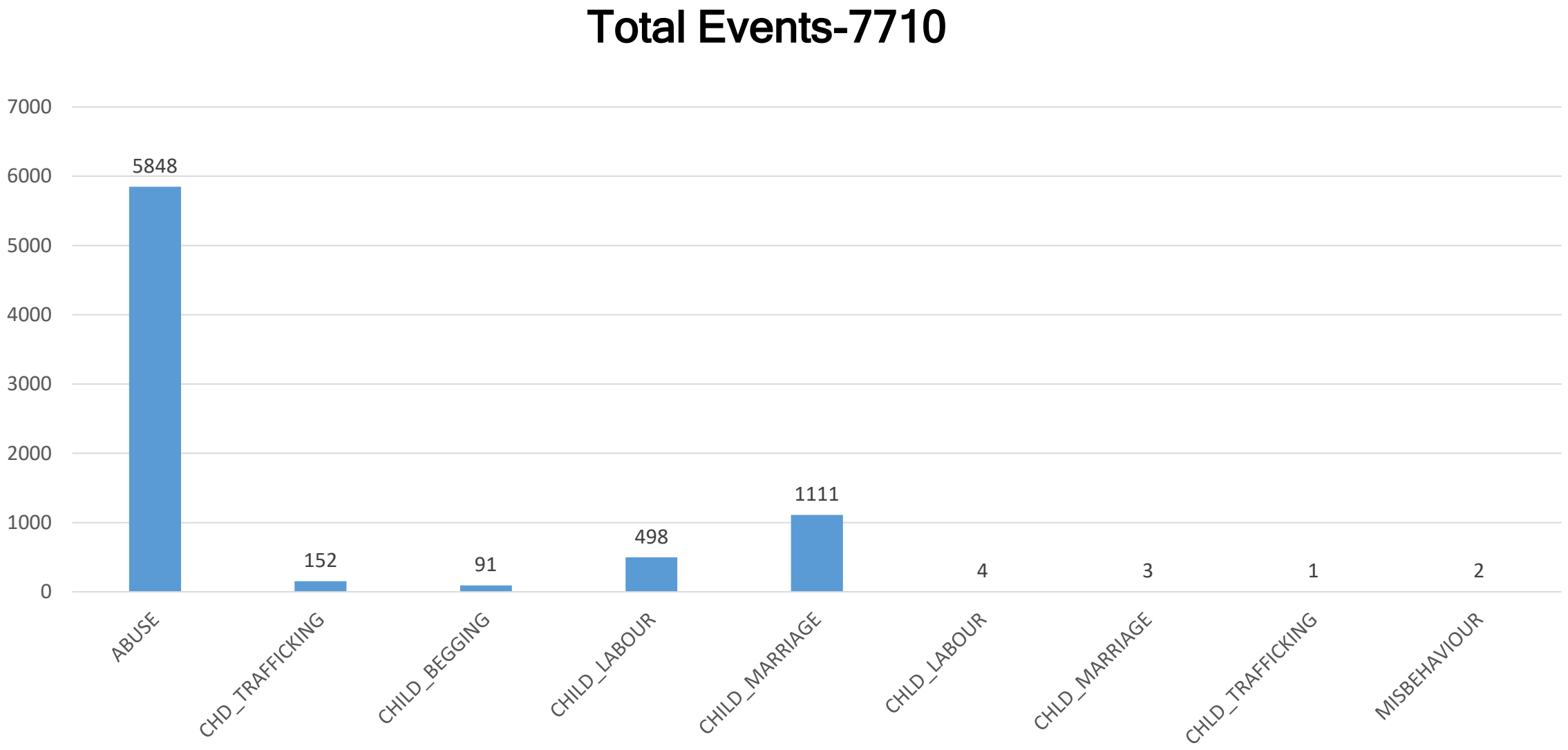

UP112 में यू०पी०112- में 1 अप्रैल 2022 से 30 जून 2022 दर्ज बाल अपराध से सम्बन्धित घटनाओं के आंकड़े

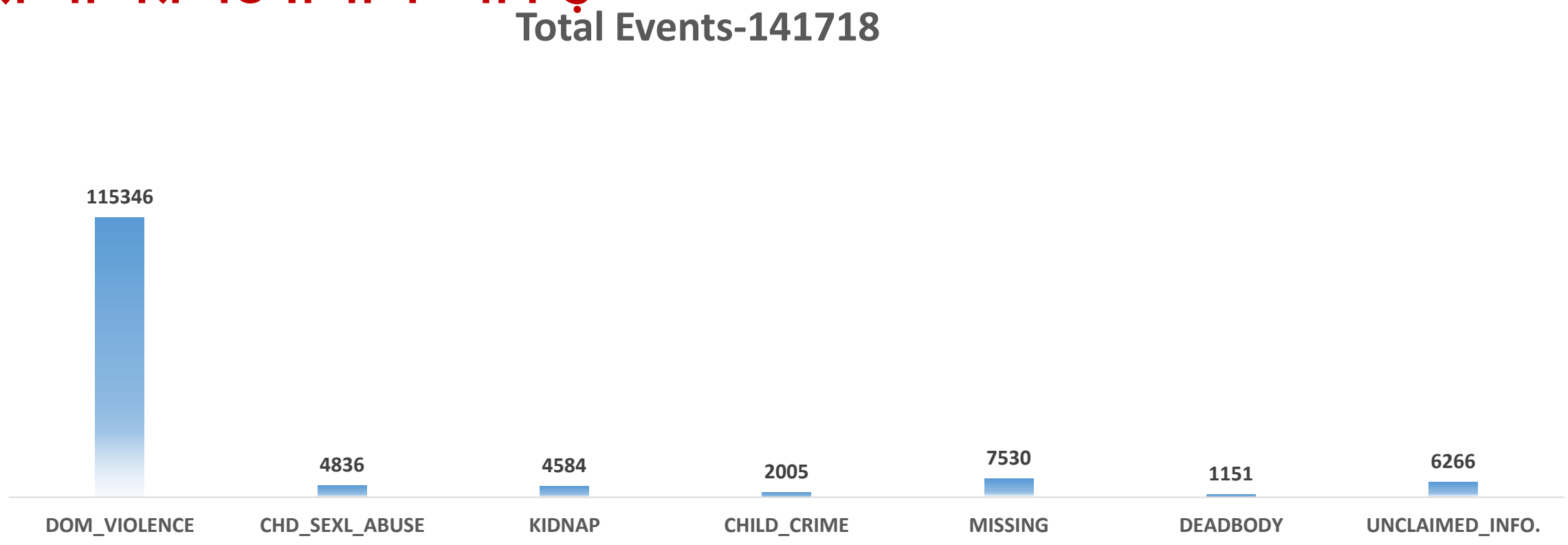

UP112 में यू०पी०112- में 1 अप्रैल 2022 से 30 जून 2022 दर्ज बाल अपराध से सम्बन्धित घटनाओं के आंकड़े

Total Event-
14870

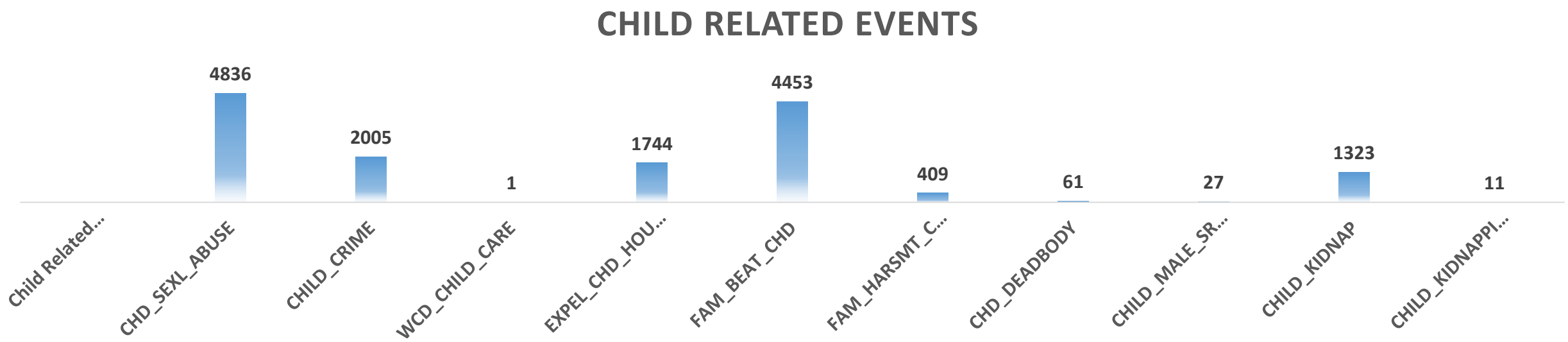

UP112 में यू०पी०112- में 1 अप्रैल 2022 से 30 जून 2022 दर्ज बाल अपराध से सम्बन्धित घटनाओं के आंकड़े

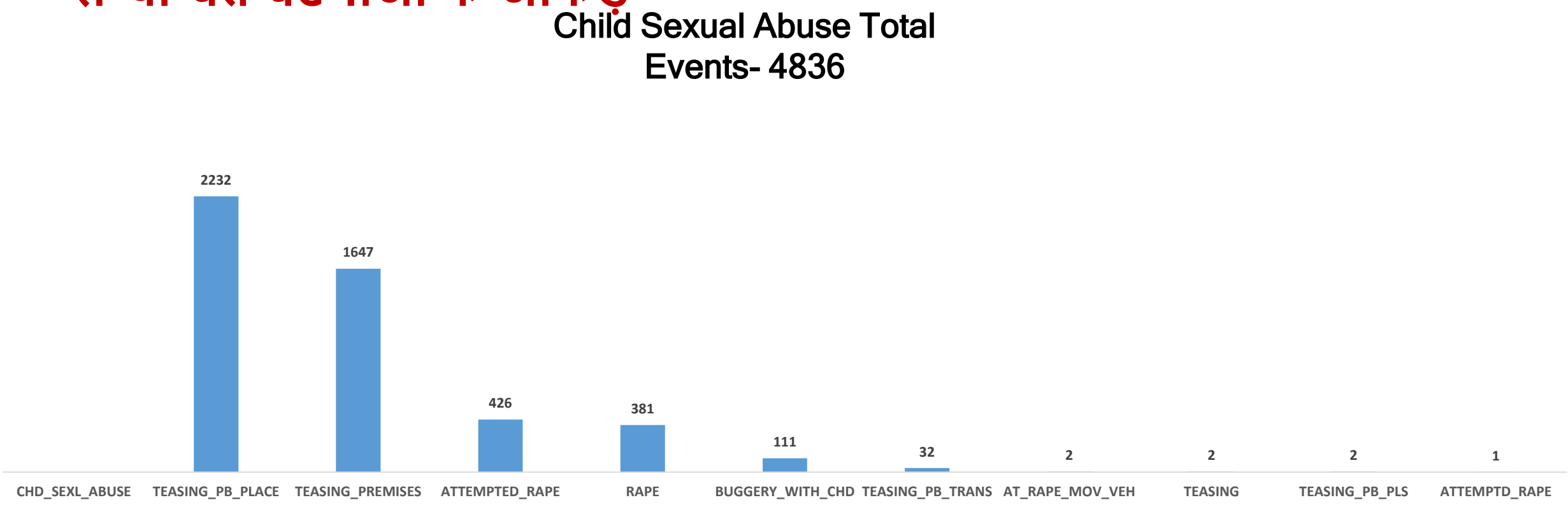

UP112 में यू०पी०112- में 1 अप्रैल 2022 से 30 जून 2022 दर्ज बाल अपराध से सम्बन्धित घटनाओं के आंकड़े

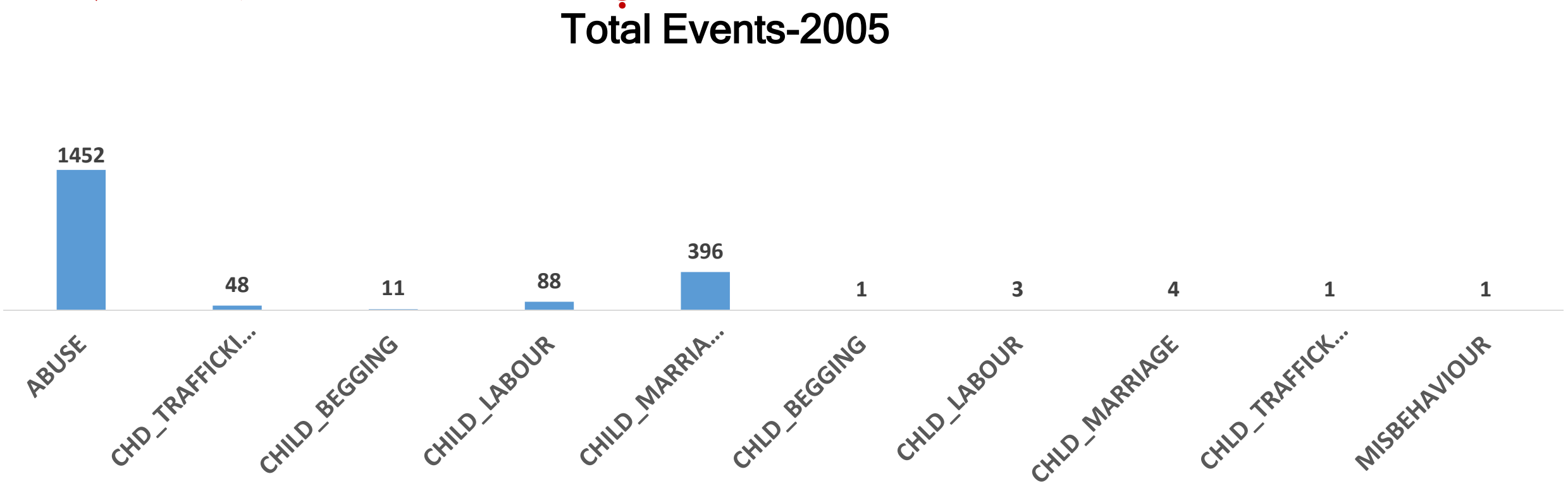

घटना का प्रकार एवं उप प्रकार

CHD_SEXL_ABUSE [बाल अपराध (यौन शोषण)]

- AT_RAPE_MOV_VEH (चलते वाहन में बलात्कार का प्रयास)
- ATTEMPTED_RAPE (बलात्कार का प्रयास)
- BUGGERY_WITH_CHD (बालक के साथ अप्राकृतिक मैथुन)
- RAPE
- RAPE_IN_MOV_VEH (चलते वाहन में बलात्कार)
- TEASING_PB_PLACE (सार्वजनिक स्थान पर छेड़छाड़)
- TEASING_PB_TRANS (यातायात के सार्वजनिक साधनों में छेड़छाड़)
- TEASING_PREMISES (किसी भवन या परिसर में छेड़छाड़)

घटना का प्रकार एवं उप प्रकार

- **CHILD_CRIME [बाल अपराध (शोषण एवं अन्य अपराध)]**
- ABUSE
- CHD_TRAFFICKING (बाल तस्करी)
- CHILD_BEGGING (बाल भिक्षाटन)
- CHILD_LABOUR (बाल मजदूरी)
- CHILD_MARRIAGE (बाल विवाह)

Other Categories Related to Child (बच्चों से सम्बन्धित मुद्दों के अन्य प्रकार)

- UNCLAIMED_INFO. (लावारिस व्यक्ति/ महिला/ बच्चा /वस्तु / वाहन एवं जानवर आदि की सूचना)
  - UNCLAIMED_CHILD (लावारिस बच्चा)
- MISSING (गुमशुदगी)
  - CHILD (बच्चा)
- KIDNAP (अपहरण)
  - CHILD_KIDNAP (बच्चे का अपहरण)
- DOM_VIOLENCE (घरेलू हिंसा)
  - FAM_BEAT_CHD (परिजनों द्वारा बच्चों को मारना पीटना)
  - FAM_HARSMT_CHD (परिजनों द्वारा बच्चों को अन्य यातना / प्रताडना देना)
  - EXPEL_CHD_HOUSE (बच्चों को घर से बाहर निकालना)
- DEADBODY (डेड बॉडी मिलना)

CHD_SEXL_ABUSE [(बाल अपराध (यौन शोषण)] (UPGRP)

- ATTEMPTD_RAPE (रेलवे स्टेशन यार्ड/ आउटर सिग्नल के अन्दर/ सर्कुलेटिंग एरिया में बलात्कार का प्रयास।)
- BUGGERY_WTH_CHD (जी.आर.पी. क्षेत्रान्तर्गत बालक के साथ अप्राकृतिक मैथुन।)
- RAPE_AT_MOV_TRN (चलते वाहन में बलात्कार)
- RAPE_CHILD (जी.आर.पी. क्षेत्रान्तर्गत बलात्कार।)
- RAPE_IN_MOV_TRN (चलती ट्रेन में बलात्कार का प्रयास करना।)
- TEASING (छेड़-छाड़)
- TEASING_PB_PLS (सार्वजनिक स्थान पर छेड़छाड़)
- TEASING_PB_TRAN (सार्वजनिक ट्रेन में चिढ़ा)

CHILD_CRIME [बाल अपराध (शोषण एवं अन्य अपराध)] (UPGRP)

- CHLD_BEGGING (जी.आर.पी. क्षेत्रान्तर्गत बाल भिक्षाटन।)
- CHLD_LABOUR (जी.आर.पी. क्षेत्रान्तर्गत बाल मजदूरी।)
- CHLD_MARRIAGE (बाल विवाह के लिए ट्रेन द्वारा जबरन ले जाने पर।)
- CHLD_TRAFFICKING (जी.आऱ.पी. क्षेत्रान्तर्गत बाल तस्करी।)
- MISBEHAVIOUR (जी.आर.पी. क्षेत्रान्तर्गत दुर्व्यवहार (बाहरी व्यक्तियों द्वारा)।)

Other Categories Related to Child (बच्चों से सम्बन्धित मुद्दों के अन्य प्रकार) (UPGRP)

- DEADBODY (डेड बाडी मिलना)
  - CHILD_MALE_SRCTZ (जी.आर.पी. क्षेत्रान्तर्गत बच्चों का शव, जहरखुरानी के कारण पुरुष शव, वरिष्ठ नागरिक का शव पाया जाना।)
- KIDNAP (अपहरण)
  - CHILD_KIDNAPPING (जी.आर.पी. क्षेत्रान्तर्गत बच्चे का अपहरण।)
- MISSING (गुमशुदगी)
  - CHILD_MISSING (जी.आर.पी. क्षेत्रान्तर्गत बच्चे की गुमशुदगी।)
- UNCLAIMED_INFO. (लावारिश व्यक्ति/महिला/बच्चा/वस्तु/वाहन एवं जानवर आदि की सूचना)
  - UNCLAIM_WOM_CHD (जी.आर.पी. क्षेत्रान्तर्गत लावारिश महिला,लावारिश बच्चा।)

CHD_SEXL_ABUSE [बाल अपराध (यौन शोषण)] (UPMED)

- AT_RAPE_MOV_VEH (चलते वाहन में बलात्कार का प्रयास)
- ATTEMPTED_RAPE (बलात्कार का प्रयास)
- RAPE (बलात्कार)
- RAPE_IN_MOV_VEH (चलते वाहन में बलात्कार)
- TEASING_PREMISES

CHILD_CRIME [बाल अपराध (शोषण एवं अन्य अपराध)] (UPMED)

- CHD_TRAFFICKING (बाल तस्करी)
- CHILD_BEGGING (बाल भिक्षाटन)
- CHILD_LABOUR (बाल मजदूरी)

केस स्टडी

- कॉलर ने क्या कहा- मेरी 8 वर्ष की बच्ची कहीं मिल नही रही है प्लीज मेरी हेल्प करें

- सूचना- आठ वर्ष की बच्ची की गुमशुदगी की सूचना
  जिला - सोनभद्र
  आरक्षी -संजीव कुमार
  कमांडर - सुहेल अहमद
  पायलट - विनय कुमार

- आप इस इवेंट में क्या कार्यवाही करते

<u>सूचना प्राप्त होने पर पी.आर.वी द्वारा की जाने वाली कार्यवाही-</u> गुमशुदगी की सूचना प्राप्त होने पर मौके पर जाकर पी.आर.वी वालो ने कॉलर राकेश कुमार से बात की जिससे पता चला की उन्ही की बच्ची रीमा जो की 8 वर्ष की है | बच्ची सुबह से गायब है और मिल नहीं रही है | पी.आर.वी ने राकेश कुमार के घर वालो से और उनके रिश्तेदारों, आस पास के पड़ोसियों से पूछताछ की तथा बच्ची का हुलिया मालूम किया | जानकारी प्राप्त करने के बाद नजदीकी थाने के S.H.O महोदय को भी मौके की जानकारी देकर उन्हें भी घटना स्थल पर बुला लिया गया | पुलिस के द्वारा आस पास के घरो और इलाको की खोजबीन करने के बाद राकेश जी की बच्ची राहुल कुमार के घर में मिली जो की उनके गांव के थे | मामले की पूरी जानकारी के बाद पता चला की पुराने पैसो के विवाद के कारण उन्होंने राकेश कुमार की बच्ची को बंधक बनाकर अपने घर में रखा था | पी.आर.वी राहुल कुमार के घर से बच्ची को लेकर राकेश कुमार के घर पहुंचकर दोनों में विवाद का समझौता कराकर मामले को थाने के सुपुर्द कर दिया गया |

- आसपड़ोस से पूछताछ की |
- बच्चे की उम्र तथा उसका हुलिया मालूम किया |
- घटना से सम्बंधित सूचना थाने के S.H.O को दी|
- गुमशुदगी की वजह मलुम की मामला पैसे के लेन-देन का था |
- बच्ची का पता लगाकर दोनों पक्षों में समझौता कराया |

बच्चों के प्रति अपराध के कारण

- परिपक्वता की कमी
- दूसरों पर निर्भरता
- शारीरिक रूप से कमजोर
- आर्थिक कारण
- पारिवारिक कारण
- पारंपरिक मान्यताएं
- शिक्षा का अभाव

हिंसा के प्रकार

बच्चों के साथ होने वाली हिंसा को केवल शारीरिक रूप में नहीं लिया जाता अपितु हिंसा के भी कुछ प्रकार होते हैं, यथा:

- शारीरिक
- मानसिक
- भावात्मक
- आर्थिक

बालकों से सम्बन्धित प्रमुख कानूनी सिद्धान्त

- **IPC 1860 (भारतीय न्याय संहिता 2023 द्वारा प्रतिस्थापित)**
- **CRPC 1973 (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 द्वारा प्रतिस्थापित)**
- **भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 (भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 द्वारा प्रतिस्थापित)**

- किशोर न्याय बालकों की देख-रेख और संरक्षण अधिनियम 2015
- लैंगिक शोषण से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012
- बालश्रम प्रतिषेध विनियमन अधिनियम 1986 यथा संशोधित 2016

बालकों से सम्बन्धित प्रमुख कानूनी सिद्धान्त

बालकों से सम्बन्धित कानून को लागू करने हेतु मूल मार्गदर्शक सिद्धान्त (धारा 3 JJ एक्ट 2015)-

- निर्दोष होने की उपधारणा का सिद्धांत
- समान गरिमा और योग्यता का सिद्धांत
- सहभागिता का सिद्धांत
- सर्वोत्तम हित का सिद्धांत
- कौटुम्बिक (परिवार) उत्तरदायित्व का सिद्धांत
- सुरक्षा का सिद्धांत (बालक को दुर्व्यवहार से अनुरक्षण)
- निश्चयात्मक उपाय
- निदाग शब्द विचार का सिद्धांत

बालकों से सम्बन्धित प्रमुख कानूनी सिद्धान्त

बालकों से सम्बन्धित कानून को लागू करने हेतु मूल मार्गदर्शक सिद्धान्त (धारा 3 JJ एक्ट 2015)-

- अधिकार के अनिधि तेजन का सिद्धांत
- समता और भेदभाव न किए जाने का सिद्धांत
- एकान्तता और गोपनीयता का सिद्धांत
- अंतिम आश्रय के उपाय के रूप में सांस्थानिकीकरण का सिद्धांत
- सम्प्रत्यावर्तन व पुनर्स्थापन का सिद्धांत
- नवीन प्रारम्भ का सिद्धांत
- मोड़े जाने का सिद्धांत (विधि विरोधी बालक को बिना न्यायिक प्रक्रिया का आश्रय लिए उससे व्यवहार करने के उपायों को विकसित किया जाएगा, जबतक बालक के या समाज के सर्वोत्तम हित में न हो)
- नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत (पक्षपात के विरुद्ध नियम और पुनर्विलोकन तथा उचित सुनवाई का अधिकार)

JJ एक्ट के अनुसार बच्चों का देख-रेख संरक्षण अधिनियम के अधिकार

- विधि विरोधी बालक और देख-रेख और संरक्षण की आवश्यकता वाला बालक
- जब तक बालक के सर्वोत्तम हित में न हो 7 वर्ष से कम कारावास के अपराध में बालक को पकड़े जाने की शक्ति का प्रयोग नहीं किया जायेगा
- बालक द्वारा वयस्कों के साथ सम्मिलित रूप से अपराध किए जाने या 7 वर्ष अथवा उससे अधिक कारावास से दण्डनीय अपराध के सिवाय किसी बालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज नहीं की जाएगी
- विधि के उल्लंघन में बालक को जब पुलिस पकड़ती है तो सम्बन्धित पुलिस अधिकारी, विशेष पुलिस इकाई या बाल कल्याण पुलिस अधिकार को प्रभार में सुपुर्द करेंगे
- बालक को हवालात में नहीं डाला जाएगा
- बालक को कोई हथकड़ी, ज़ंजीर अथवा बेड़ी नहीं पहनाएंगे तथा किसी भी दबाव या बल का प्रयोग नहीं किया जाएगा

JJ एक्ट के अनुसार बच्चों का देख-रेख संरक्षण अधिनियम के अधिकार

- बालक को चिकित्सीय सहायता अथवा आवश्यकतानुसार अन्य कोई सहायता उपलब्ध कराया जायेगा
- अपराध स्वीकार करने के लिए विवश नहीं किया जायेगा
- बालकों के अनुकूल परिसरों में बात-चीत किया जायेगा
- बालक के किसी कथन पर हस्ताक्षर करने को नहीं कहा जायेगा बाल कल्याण पुलिस अधिकारी सादे कपड़ों में होंगे वर्दी में नहीं होंगे -

- **देख-रेख और संरक्षण के जरुरत मंद बालक-** कोई व्यक्ति या पुलिस अधिकारी, किसी संगठन का कोई कर्मचारी या नर्सिंगहोम या अस्पताल द्वारा या प्रसूतगृह द्वारा परित्यक्त खोया हुआ या अनाथ बालक को पाता है तो चाइल्ड लाइन सेवाएं निकट के पुलिस थाना बाल कल्याण समिति या जिला बाल संरक्षण इकाई को सूचित किया जायेगा या रजिस्ट्रीकृत बालक की देख-रेख संस्था को सुपुर्द किया जायेगा

JJ एक्ट के अनुसार बच्चों का देख-रेख संरक्षण अधिनियम के अधिकार

- बालक के साथ दोस्ताना व्यवहार किया जायेगा, बालक के निर्दोष होने की धारणा की जाएगी बालक के सर्वोत्तम हित का ध्यान रखा जायेगा
- किसी भी परिस्थिति में बालक को रात में थाने में नहीं रखा जायेगा बालक अलग भाषा बोलता है तो द्विभाषीय की सहायता ली जाएगी
- अपराध के पीड़ित बालक तथा अभियुक्त का आमना-सामना न हो, सुनिश्चित किया जाएगा
- बालक के महिला होने पर महिला पुलिस अधिकारी द्वारा ही कार्यवाही की जाएगी इसके लिए महिला पुलिस अधिकारी की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी

बच्चों से सम्बन्धित कानूनी प्रावधान

7 वर्ष तक के शिशु द्वारा किया गया कोई कार्य अपराध नहीं है **(धारा 82 IPC) (भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 20 द्वारा प्रतिस्थापित)**

बालक: वह व्यक्ति जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है | [धारा 02 (12) किशोर न्याय (बालकों के देख-रेख और संरक्षण) अधिनियम 2015]

- **धारा-34** बालक के सम्बन्ध में रिपोर्ट न करने के लिए
  दण्ड- 06 मास तक कारावास या 10,000 रुपये तक जुर्माना या दोनों

- **धारा-42** बालक देख रेख संस्थाओं के रजिस्ट्रीकरण के लिए
  दण्ड- 1वर्ष तक कारावास या कम से कम 1 लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों- इस कानून के लागू होने से 6 माह के अन्दर रजिस्ट्रीकरण जरूरी

बच्चों से सम्बन्धित कानूनी प्रावधान

- **धारा-74** बालकों की पहचान प्रकट करने पर प्रतिषेध
  दण्ड 6 माह तक का कारावास या 2लाख रुपये तक जुर्माना या दोनों

- **धारा -75** बालक के प्रति क्रूरता के लिए
  दण्ड-3 वर्ष तक का कारावास या 1लाख रुपये जुर्माना या दोनों, मानसिक बीमारी विकसित होने या
  शारीरिक या मानसिक रूप से अयोग्य बनाने पर 10 वर्ष तक कारावास और 5 लाख रुपये जुर्माना

बाल सम्बंधित धाराएँ

- **धारा-80** निर्धारित प्रक्रिया का पालन किये बिना दत्तक गृहण आदि के लिए दंड
  दण्ड- 3 वर्ष कारावास या 1 लाख रुपये जुर्माना या दोनों

- **धारा-81** किसी प्रयोजन के लिए बालकों का क्रय-विक्रय और उप्राप्त करना
  दण्ड- 05 वर्ष का कारावास और 1 लाख रुपये जुर्माना अस्पताल या नर्सिंग होम आदि के कर्मचारी द्वारा अपराध की दशा में 3 वर्ष से 7 वर्ष तक का कारावास

- **धारा-82** शारीरिक दंड
  दण्ड- 10 हजार रुपये जुर्माना ऐसे कृत्य की जाँच में संस्था द्वारा सहयोग न करने पर कम से कम 3 वर्ष कारावास और 1 लाख रू0 जुर्माना

बच्चों के साथ होने वाले अपराध

- बाल यौन शोषण (Child sexual abuse)
- भ्रूण हत्या (Feticide)
- शिशु हत्या (Infanticide)
- बाल श्रम (Child Labour)
- अपहरण/व्यपहरण (Kidnapping/Abduction)
- लैंगिक भेदभाव (Gender Discrimination)
- बाल-विवाह (Child Marriage)
- बाल-बलि (Child sacrifice)
- बच्चों का व्यापार (child trafficking)

बाल यौन शोषण (Child Sexual Abuse)

- इसमें बच्चे और वयस्क के बीच गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल होती है। इसमें अक्सर शारीरिक संपर्क शामिल होता है, लेकिन हमेशा नहीं। बच्चों को अपना यौनांग दिखाना या सेक्स करने के लिए उनके ऊपर दबाव डालना भी यौन शोषण है
- पोर्नोग्राफी के लिए बच्चे का प्रयोग भी यौन शोषण है

बाल यौन शोषण न केवल पीड़ित बच्चों पर अपना गहरा प्रभाव छोड़ता है, बल्कि पूरे

बाल यौन-शोषण (Child Sexual Abuse)

- भारत में बाल यौन-शोषण के बहुत से मामलों को दर्ज नहीं किया जाता क्योंकि ऐसे मामलों को सार्वजनिक करने पर परिवार खुद को असहज महसूस करता है, इसके बारे में एक सामान्य धारणा है कि, "ऐसी बातें घर के बहार नही जानी चाहिये"
- बाल यौन-शोषण की बात के सार्वजनिक हो जाने पर परिवार की गरिमा के खराब होने के बारे में लगातार भय बना रहता है

बाल यौन-शोषण (Child Sexual Abuse) के प्रकार

- लैंगिक उत्पीड़न
- बाल पोर्नोग्राफी
- बाल वेश्यावृत्ति

लैंगिक अपराधों से सम्बन्धित कानूनी प्रावधान

बालक- वह व्यक्ति जिसने 18वर्ष की आयु पूरी नहीं की है
स्त्रोत : **धारा-1(घ)** लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012

- **धारा- 3** प्रवेशन लैंगिक हमला (Penetrative Sexual Assault)
- **धारा- 4** दण्ड- 10 वर्ष से आजीवन कारावास और जुर्माना, बालक के 16 वर्ष से कम आयु का होने पर 20 वर्ष से आजीवन कारावास और जुर्माना
- **धारा-5** गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला (Aggravated Penetrative Sexual Assault)

लैंगिक अपराधों से सम्बन्धित कानूनी प्रावधान

- **धारा- 9** गुरुतर लैंगिक हमला (Aggravated Sexual Assault)
- **धारा- 10** दण्ड- 05 वर्ष से 07 वर्ष तक कारावास और जुर्माना (अब प्राकृतिक आपदा के दौरान लैंगिक हमला को तथा बालक को समय से पहले लैंगिक परिपक़्वता के लिए हार्मोन या रासायनिक पदार्थ देने को भी गुरुतर लैंगिक हमला में शामिल कर लिया गया है)
- **धारा-11** लैंगिक उत्पीड़न (Sexual Harassment)
- **धारा- 12** दण्ड- 03 वर्ष तक कारावास और जुर्माना
- **धारा-13** अश्लील (Pornographic) साहित्य (Pornographic Material) के प्रयोजनों के लिए बालक का उपयोग करना

लैंगिक अपराधों से सम्बन्धित कानूनी प्रावधान

- **धारा-14** दण्ड- 05 वर्ष कारावास और जुर्माना, पश्चावर्ती, दोषसिद्धि की दशा में 07 वर्ष तक कारावास और जुर्माना- अश्लील (Pornographic) साहित्य के प्रयोजनों के लिये में निर्दिष्ट कार्य की दशा में 10 वर्ष से आजीवन कारावास तक और जुर्माना तथा बालक का प्रयोग गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला के अश्लील (Pornographic) साहित्य के प्रयोजनों की स्थिति में 20 वर्ष से आजीवन कारावास या मृत्यु दण्ड, लैंगिक हमला के अश्लील (Pornographic) साहित्य के लिए बच्चे का प्रयोग 03 वर्ष से 05 वर्ष तक का कारावास तथा प्रवेशन लैंगिक हमला के अश्लील (Pornographic) साहित्य बच्चे का प्रयोग 05 वर्ष से 08 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना
- **धारा-15** बालक को अन्तर्ग्रस्त करने वाले अश्लील (Pornographic) साहित्य के भण्डारण के लिए दण्ड 03 वर्ष तक कारावास या जुर्माना या दोनों
- **धारा-17** दुष्प्रेरण (Abetment) के लिए दण्ड अपराध के लिए

लैंगिक अपराधों से सम्बन्धित कानूनी प्रावधान

- **धारा-21** मामले की रिपोर्ट करने या अभिलिखित करने में विफल रहने के लिए दण्ड 6 माह तक कारावास या जुर्माना या दोनों, किसी कंपनी या संस्था के इंचार्ज द्वारा अपने आधीन के सम्बन्ध में विफल रहने पर 1 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना लेकिन बालक के स्थिति में लागू नहीं होगा1

- **धारा-22** मिथ्या सूचना के लिए दण्ड 6 माह तक कारावास या जुर्माना या दोनों,वयस्क द्वारा बालक के खिलाफ मिथ्या परिवाद या सूचना की स्थिति में 1 वर्ष तक कारावास या जुर्माना या दोनों, सूचना देने वाला बालक है तो कोई दण्ड नहीं

- **धारा-23** मीडिया द्वारा प्रक्रिया के उल्लंघन के लिए दण्ड-6 माह से 1 वर्ष तक कारावास या जुर्माना या दोनों

भ्रूण हत्या (Feticide)

- भ्रूण हत्या जन्म से पहले भ्रूण को मार डालने की क्रिया है
- भारत सरकार प्रसव (Childbirth) पूर्व लिंग परीक्षण एवं लिंग चयनात्मक भ्रूण हत्या पर रोक लगा चुकी है

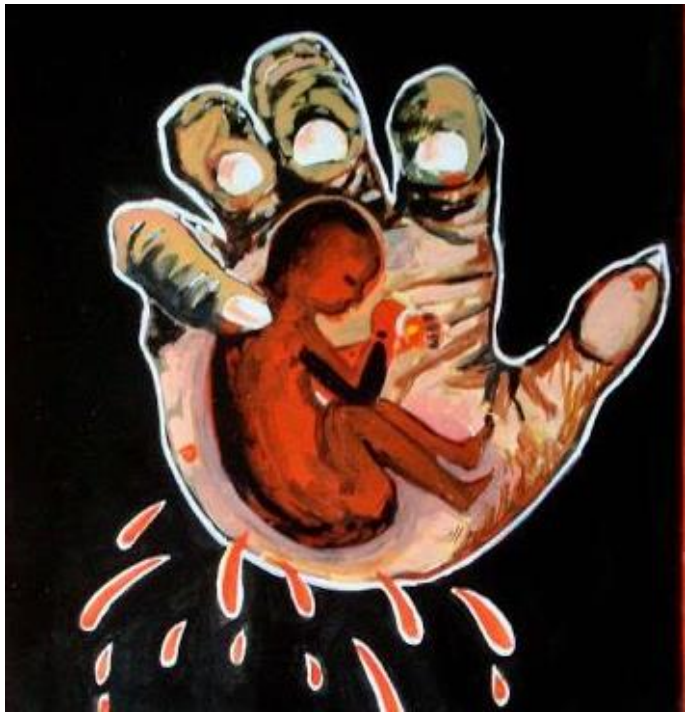

भ्रूण हत्या के कारण

- भ्रूण हत्या का एक प्रमुख कारण सामाजिक शर्म एवं दबाव भी होता है
- कन्या भ्रूण हत्या की मुख्य वजह बालिका शिशु पर बालक शिशु की प्राथमिकता है। इस परंपरा

भ्रूण हत्या (Feticide) सम्बन्धी कानूनी प्रावधान

- **धारा-312** (IPC) गर्भपात कारित करना। (भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 88 द्वारा प्रतिस्थापित)
  दण्ड- तीन वर्ष के लिए के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों।

- **धारा-313** (IPC) स्त्री की सम्मति के बिना गर्भपात कारित करना। (भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 89 द्वारा प्रतिस्थापित)
  दण्ड- आजीवन कारावास या दस वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना।

- **धारा-314** (IPC) गर्भपात कारित करने के आशय से किये गये कार्य द्वारा कारित मृत्यु। (भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 90 द्वारा प्रतिसथापित)

शिशु हत्या (Infanticide)

- नवजात शिशु की हत्या करना या 12 माह से कम उम्र के शिशु की हत्या करना या अवैध रूप से और जानबूझकर उनके जीवन को नष्ट करना भी शिशु वध कहलाता है
- शिशु वध में कन्या हत्या सबसे आम बात है और यह इसलिए क्योंकि कुछ लोगों की मानसिकता है कि कन्या एक बोझ हैं

शिशु हत्या (Infanticide)

कारण

- सामाजिक तिरस्कार के भय से जन्मे शिशु क
- माता पिता का अत्यंत गरीब होना
- कन्या शिशु की हत्या करना उसके दहेज़ के

शिशु हत्या के कानूनी प्रावधान

- **धारा-315** शिशु का जीवित पैदा होना रोकने या जन्म के पश्चात उसकी मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया कार्य। (भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 91 द्वारा प्रतिस्थापित)
  दण्ड- दस वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों।

- **धारा-316** ऐसे कार्य द्वारा जो आपराधिक मानव-वध की कोटि में आता है किसी सजीव अजात् शिशु की मृत्यु कारित करना। (भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 92 द्वारा प्रतिस्थापित)
  दण्ड- दस वर्ष के लिए यथोक्त कारावास और जुर्माना।

शिशु हत्या के कानूनी प्रावधान

- **धारा-317** शिशु के पिता या माता या उसकी देखरेख रखने वाले व्यक्ति द्वारा 12 वर्ष से कम आयु के शिशु को पूर्णतया परित्याग करने के आशय से अरक्षित डाल देना। (भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 93 द्वारा प्रतिस्थापित)
  दण्ड- सात वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों।

- **धारा- 318** शिशु के मृत्यु शरीर के गुप्त व्यसन द्वारा जन्म छिपाना। (भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 94 द्वारा प्रतिस्थापित)
  दण्ड- दो वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों।

बाल-बलि (Child sacrifice)

- बाल बलिदान बच्चों को एक वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए किसी देवी-देवता या अलौकिक शक्तियों को प्रसन्न करने के लिए बच्चों की कर्मकांड हत्या है
- बाल बलिदान को इस विचार का एक चरम विस्तार माना जाता है कि 'बलिदान की वस्तु जितनी महत्वपूर्ण होगी उतना ही अधिक ल

बाल-बलि का कारण

- अंधविश्वास

बाल-श्रम (Child Labour)

06 माह से 14 वर्ष के सभी बालकों को नि:शुल्क शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद के 21(क) में मौलिक अधिकार के रूप में प्रदान किया गया है साथ ही इसे मौलिक कर्तव्य भी बनाया गया है और

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों ,खान ,ज्वलनशील पदार्थ या विस्फोटक आदि के कारोबार तथा किसी अन्य परिसंकटमय कारोबार में लगाये जाने से मना करता है, स्वस्थ वातावरण एवं तरीके से बच्चों के संवर्धन का अवसर सुनिश्चित करना राज्य की जिम्मेदारी है

बाल श्रम के कारण

- आर्थिक कारण
- परिवार में शिक्षा की कमी
- जागरुकता की कमी
- कंपनी मालिकों का स्वार्थ
- नियमों की अनदेखी
- बच्चों का परिवार से पलायन

वीडियो

बाल-श्रम सम्बन्धी कानूनी प्रावधान

- **धारा-79** बालक कर्मचारी का शोषण
  दण्ड- 5 वर्ष कारावास और 1 लाख रूपये जुर्माना

- **धारा-80** निर्धारित प्रक्रिया का पालन किये बिना दत्तक ग्रहण आदि के लिए (Punitive measures for adoption without following prescribed procedure)
  दण्ड- 3 वर्ष कारावास या 1 लाख रूपये जुर्माना या दोनों

- **धारा-81** किसी प्रयोजन के लिए बालकों का क्रय-विक्रय अथवा प्राप्त करना
  दण्ड- 5 वर्ष का कारावास और 1 लाख रुपये जुर्माना अस्पताल या नर्सिंग होम आदि के कर्मचारी
  द्वारा अपराध की दशा में 7 वर्ष तक का कारावास

बाल-श्रम सम्बन्धी कानूनी प्रावधान

- **धारा-3 क- <u>बालक श्रम प्रतिषेध और विनियमन अधिनियम 1986 यथा संशोधित 2016</u>**

किसी उपजीविका या प्रकिर्या में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध-14 वर्ष से कम आयु के बालक को

कतिपय उपजीविकाओं में नियोजित नहीं किया जायेगा

दण्ड- 06माह से 02 वर्ष तक का कारावास या 20 हजार रू० से 50 हजार रू० तक, जुर्माना या दोनों से

दण्डनीय है।

- **धारा-3 क- <u>बालक श्रम प्रतिषेध और विनियमन अधिनियम 1986 यथा संशोधित 2016</u>**

कतिपय परिसंकटमय आजीविकाओं और प्रक्रियाओं (खाने, ज्वलनशील पदार्थ या विस्फोटक तथा

संकटमय प्रक्रिया) में कुमारों अर्थात ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी आयु 14 वर्ष पूरी कर ली है किन्तु18 वर्ष

बंधुआ मजदूरी

- वह व्यक्ति जिसे ऋण के एवज में श्रम करने के लिए बलपूर्वक मजबूर किया जाता है **बँधुआ मजदूर** (Debt bondage या bonded labour) कहलाता है

बंधुआ मजदूरी व्यवस्था उन्मूलन अधिनियम 1976:

- इस अधिनियम का ध्येय किसी भी प्रकार की रुढ़ी, परंपरा या ऐसे मूल्यों का उन्मूलन करना है जिसमें कि एक व्यक्ति या उसके परिवार के किसी सदस्य को बंधुआ श्रमिक के रूप में किसी जगह कार्य करने के लिए बाध्य किया जाता है

बंधुआ मजदूरी के कारण

- गरीबी
- अशिक्षा
- जागरूकता की कमी

अपहरण/व्यपहरण

- किसी बालक को उसके अभिभावक की इच्छा के विरुद्ध बलपूर्वक गैर कानूनी रूप से किसी स्थान पर बंदी बना लेना है
- पीड़ित को रिहा करने, करने के लिए अपहर्ता/ व्यपहर्ता का कोई गैरकानूनी उद्देश्य जैसे कि, फिरौती आदि हो सकता है

अपहरण/व्यपहरण

बाल अपहरण के कारण

- रंजिश
- फिरौती
- बाल तस्करी और बाल व्यापार
- अंग व्यापार /देह व्यापार
- गैर क़ानूनी धंधे
- लैंगिक शोषण

अपहरण/व्यपहरण

- **व्यपहरण-** 16 वर्ष से कम आयु के पुरुष अथवा 18 वर्ष से कम आयु की महिला या किसी विकृतचित व्यक्ति को उसके विधिक संरक्षक की सहमति के बिना ले जाना या बहकाकर ले जाना या किसी व्यक्ति को उसकी सहमति के बिना भारत से बाहर ले जाना।
- **अपहरण-** किसी व्यक्ति को किसी स्थान से जाने के लिए बल द्वारा विवश करना या प्रवेचनापूर्ण उपायों द्वारा उत्प्रेरित करना।
- **धारा-363** भारतीय दण्ड संहिता- व्यपहरण के लिए दण्ड (भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 137(2) द्वारा प्रतिस्थापित)
  दण्ड- 7 वर्ष तक कारावास और जुर्माना।

अपहरण/व्यपहरण संबंधी कानूनी प्रावधान

- **धारा-363** IPC- व्यपहरण के लिए दण्ड (भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 137(2) द्वारा प्रतिस्थापित)

  दण्ड- 7 वर्ष तक कारावास और जुर्माना।

- **धारा-366** IPC- विवाह आदि करने को विवश करने के लिए किसी स्त्री को व्यपहृत करना, अपहृत करना या उत्प्रेरित करना।

  किसी स्त्री के इच्छा के विरूद्ध किसी व्यक्ति से विवाह करने के लिए विवश करने हेतु या उस स्त्री को अवैध संभोग के लिए

  विवश करने हेतु अपहरण या व्यपहरण। (भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 87 द्वारा प्रतिस्थापित)

अपहरण/व्यपहरण संबंधी कानूनी प्रावधान

- **धारा-370** IPC- किसी अवयस्क का दुर्व्यापार (भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 143 द्वारा प्रतिस्थापित)
  दण्ड - 10 वर्ष तक आजीवन कारावास और जुर्माना।
  एक से अधिक अवयस्क का दुर्व्यापार-14 वर्ष तक आजीवन कारावास और जुर्माना।
  किसी व्यक्ति द्वारा अवयस्क का एक से अधिक बार दुर्व्यापार का दोषी पाये जाने पर शेष नैसर्गिक जीवन काल के लिए कारावास और जुर्माना।

- **धारा-370 क** IPC- दुर्व्यापार किये गये व्यक्ति का शोषण। (भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 144 द्वारा प्रतिस्थापित)
  दण्ड- अवयस्क के लैंगिक शोषण की स्थिति में 5 वर्ष से 7 वर्ष तक कारावास और जुर्माना।

कानूनी प्रावधान

- **धारा-84** बालक का व्यपहरण एवं अपहरण IPC के इस सम्बन्ध में उपबन्ध 18 वर्ष से कम आयु के बालकों पर भी लागू होंगे।
- **धारा-85** निशक्त बालकों (Disabled Children) पर किया गया अपराध; अपराध के लिए दंड से दो गुना।
- **धारा-87** दुष्प्रेरण (Abetment)-अपराध के समान दंड।
- **धारा-88** वैकल्पिक दंड-अधिक मात्रा में प्रावधानिक दण्ड।
- **धारा-89** इस अध्याय के अधीन बालक द्वारा कृत अपराध ऐसे बालक विधि विरोधी बालक, बालक के रूप में माना जायेगा।

वीडियो

बाल-व्यापार (Child Trafficking)

- बाल तस्करी एक ऐसा कारोबार है जो कमजोर परिस्थितियों में मानव का शोषण करता है खासतौर पर महिलाओं व बच्चों का जिसमें कि उनके सम्पूर्ण मानव अधिकारों का हनन होता है
- यह बल प्रयोग तथा कैद के माध्यम से उन्हें आर्थिक लेनदेन की वस्तु बना देता है चाहे इसका प्रयोजन लैंगिक शोषण का हो, गुलामी या नौकर बनाकर रखना हो

बाल व्यापार के कारण

- **यौन शोषण** - जबरन वेश्यावृत्ति, सामाजिक और धार्मिक रूप से स्वीकृत वेश्यावृत्ति और पॉर्नोग्राफी
- **गैर क़ानूनी काम धंधे-** भीख मंगवाना, अंग व्यापार, नशीली दवाओं को पहुँचाना और तस्करी
- **मजदूरी** - बंधुवा मजदूर , घरेलु काम , खेत मजदूरी , निर्माण कार्य , कालीन / परिधान उद्योग ,आदि
- **मनोरंजन और खेल** - कैमल जॉकी और सर्कस
- **गोद लेना**

बाल व्यापार संबंधी कानूनी प्रावधान

- **धारा-76** भिक्षा मांगने हेतु बालक का नियोजन
  दंड- 5 वर्ष तक का कारावास और 1 लाख जुर्माना

- **धारा-77** बालक को मादक शराब, नार्कोटिक ड्रग जैसे अफीम, गांजा, चरस, तम्बाकू या साइकोट्रापिक सब्सटेंस देना
  दण्ड - 7 वर्ष तक कारावास और 1लाख रु० तक जुर्माना

- **धारा-78** मादक शराब स्वापक औषधि या मनः प्रभावी पदार्थ को बेचनें फेरी लगाने या तस्करी करनें के लिए बालक का उपयोग
  दंड- 7 वर्ष कारावास और 1 लाख रूपये जुर्माना

- **धारा-83** युद्धप्रिय समूह मिलिटेंट ग्रुप या अन्य वयस्कों द्वारा बालक का प्रयोग

केस स्टडी

- इवेंट नं - P14051908411
- कॉलर ने क्या कहा

- इस घटना का संक्षिप्त विवरण बनाएं
- इस घटना में एक PRV कर्मी के रूप में आप से क्या अपेक्षा की जाती है?
- आप को इस घटना की सूचना मिलने पर आप क्या-क्या करेंगे?

घटना का विवरण

CO

Event Number	Call Time Stamp	Dispatch Time Stamp	Incident Time
P14051908411	14-05-2019 16:03:41	14-05-2019 16:05:42	--
District	Police Station	Area	Tehsil
SHRAVASTI	GILAULA	SVI-AREA-ASP	--
Event Type	Event Sub Type	Incident Address	
UNCLAIMED_INFO.	UNCLAIMED_CHILD	NEAR CHAURAHA PAR ,LAKHNA AUR LALPUR GAON KE BEECH ME ,SHRAVASTI..SVI-IKAUNA	
Caller Name	CallerNumber	Caller Address	Caller Type
SHAHID	8299588120	,,1/204 VIJAYANT KHAND GOMTI NAGAR,UP,BADHAMAU LUCKNOW,2	GENERAL
Remarks			CO Name(CO id)
#LBS CALLCALLER NUMBER:8299588120 //फैयाज़ नाम का एक ५ साल का लड़का मिला हैं लावारिस हैं NEAR CHAURAHA PAR ,LAKHNA AUR LALPUR GAON KE BEECH ME ,SHRAVASTI..SVI-IKAUNA, INFO TO PRV BY PHONE FOR ACKNOWEDGE, ENRUTE, ARRIVE AND OTHER N/A. ,SVI2508,MOKE PAR PAHUCHE 1CHAR SAL KA BACHHA THAA JO AAPANI MAUSI KE. GER AAYA THA KAFI KHAJ VIN KE BAD USKE MAA V BHAI MILE UNKE SUPURAD KIYA GAYA			SAKSHI GUPTA (543136)

विचारणीय बिंदु

- क्या आप काल सुनने के बाद CO के रिमार्क से सहमत हैं?
- क्या ATR सही भरी गयी है?
- क्या आप PRV की कार्यवाही से संतुष्ट हैं?
- PRV इस घटना में और क्या कर सकती थी कि पुलिस की छवि बेहतर होती?
- क्या पीड़िता पुलिस कार्यवाही से संतुष्ट होगी?

बाल-विवाह

- बालविवाह केवल भारत मैं ही नहीं अपितु सम्पूर्ण विश्व में होते आएं हैं और समूचे विश्व में भारत का बालविवाह में दूसरा स्थान हैं
  - यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार बिहार, बंगाल और राजस्थान में बाल विवाह की यह कुप्रथा आदिवासी समुदायों और अनुसूचित जातियों सहित कुछ विशेष जातियों के बीच प्रचलित है
  - रिपोर्ट के अनुसार 2005-2006 में जहाँ 47 फीसदी लड़कियों की शादी 18 साल की उम्र से पहले हो गई थी वहीं 2015-2016 में यह आँकड़ा 27 फीसदी था
  - यूनिसेफ के अनुसार अन्य सभी राज्यों में बाल विवाह की दर में गिरावट लाए जाने की प्रवृत्ति दिखाई दे रही है किंतु कुछ ज़िलों में बाल विवाह का प्रचलन अब भी उच्च स्तर पर बना हुआ है

बालविवाह के कारण

- लड़की की शादी को माता-पिता द्वारा अपने ऊपर एक बोझ समझना
- शिक्षा का अभाव
- रूढ़िवादिता का होना
- आर्थिक कारण

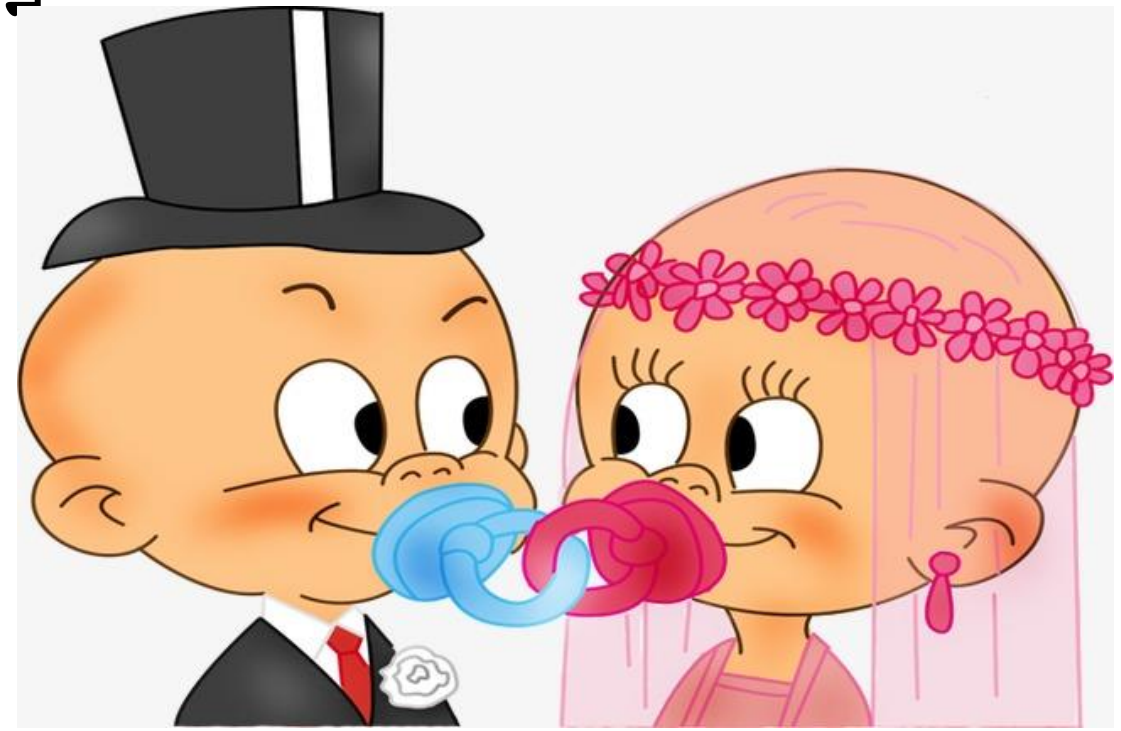

वीडियो

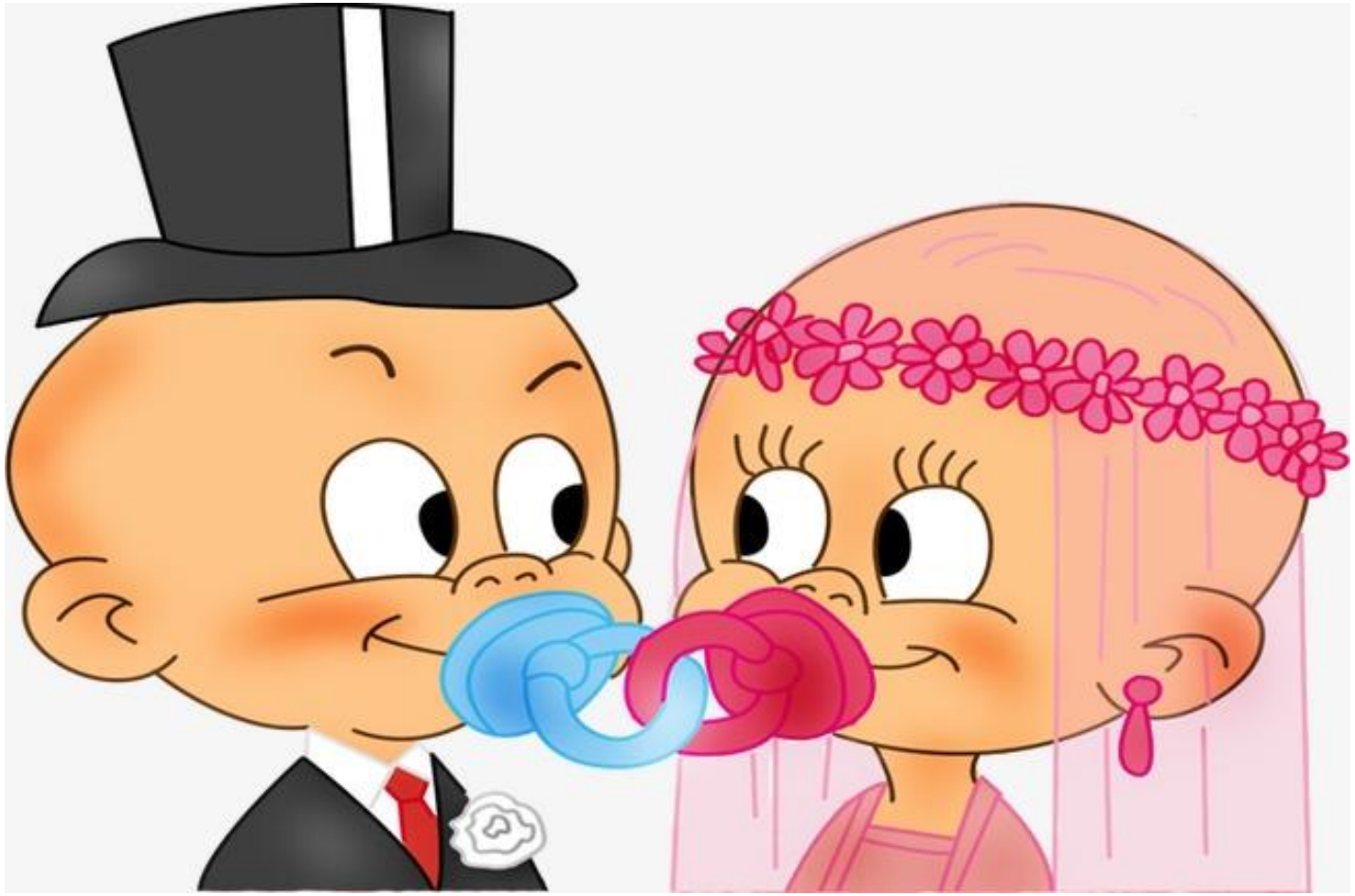

बाल विवाह संबंधी कानूनी प्रावधान

- **धारा-2 (ख)** बाल विवाह का तात्पर्य ऐसे विवाह से है जिसका कोई भी संविदाकरी पक्षकार बालक अर्थात पुरुष जिसने 21 वर्ष की आयु अथवा महिला जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी न की हो

- **धारा-9** बालक से विवाह करने वाले वयस्क पुरूष (18 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष) के लिए
  दण्ड- दो वर्ष तक कारावास या 1 लाख रूपये तक जुर्माना या दोनों

- **धारा-10** बाल विवाह का अनुष्ठान करने के लिए दण्ड (जैसे- पण्डित, मौलवी, पादरी आदि)
  दण्ड- 2 वर्ष तक का कारावास और एक लाख रूपये तक जुर्माना।

बाल विवाह संबंधी कानूनी प्रावधान

- **धारा-11** बाल विवाह के अनुष्ठान को प्रेरित करना या अनुमति देने के लिए दण्ड माता पिता या संरक्षक या कोई अन्य व्यक्ति या संगठन या संघ का कोई सदस्य जो बाल-विवाह को प्रेरित करता है या अनुष्ठान की अनुमति देता है या अनुष्ठान रोकने में उपेक्षापूर्ण ढंग से असफल रहता है (बाल -विवाह में उपस्थित होना या भाग लेना भी सम्मिलित है)।
  दण्ड- 2 वर्ष तक कारावास और 1 लाख रूपये जुर्माना।

- **धारा-15** अपराध संज्ञेय तथा अजमानतीय होंगे।

लैंगिक भेदभाव (Gender Discrimination)

- हमारे देश में लिंग आधारित भेदभाव बहुत व्यापक स्तर पर काम कर रहा है । जन्म से लेकर मौत तक शिक्षा से लेकर रोजगार तक हर जगह पर लैंगिक भेदभाव साफ-साफ नजर आता है

लैंगिक भेदभाव के कारण

- परिवार में शिक्षा की कमी
- रुढ़िवादिता
- धार्मिक
- आर्थिक
- सामाजिक

पीआरवी कर्मियों की भूमिका

पीआरवी कर्मियों को क्या करना चाहिए ?

यदि पेट्रोलिंग के दौरान किसी बच्चे को देखकर पीआरवी कर्मियों को ऐसा लगता है कि बच्चा किसी मुसीबत में है, और अपनी समस्या को किसी डर के कारण नहीं बता पा रहा है, तब निम्नलिखित बिन्दुओं का अनुपालन कर पीआरवी कर्मियों द्वारा किया जाना चाहिए-

- बच्चे के सामने जाते ही सर्वप्रथम पीआरवी कर्मी को एक अच्छी मुस्कान के साथ बच्चे का सामना करना है
- इसके बाद बहुत अच्छी तरह बात करते हुए अपना परिचय देना है और उसका परिचय लेना है
- बात करते हुए उसकी किसी अच्छी विशेषता पर उसको प्रेरित करना है, जिससे कि वह बच्चा पीआरवी कर्मी से अपनी समस्या बताने के लिए सहज स्थिति में आ सके
- इसके बाद उसकी समस्या के बारे में पूछना है, जिससे कि वह खुल कर अपनी समस्या

पीआरवी कर्मी की भूमिका (बाल यौन-दुर्व्यवहार)

- मौके पर पहुंचकर पीड़ित को सुरक्षा का एहसास दिलाना, पीड़ित से उसके परिजनों का मोबाइल नम्बर प्राप्त कर उन्हें सूचित करना। घटना के विषय में पुरुष कर्मियों द्वारा शालीनता से पूछताछ करना एवं पीड़ित को एम्बुलेंस से अस्पताल रवाना करना

- स्थानीय थाने के 4W प्रभारी के नेतृत्व में अन्य PRV कर्मियों द्वारा घटनास्थल, घटनास्थल पर उपलब्ध साक्ष्यों यथा सीमन लगे कपड़े, प्रयोग किया गया बिस्तर, चादर, प्रयुक्त / अप्रयुक्त कण्डोम, शराब की बोतल, गिलास, बीड़ी/ सिगरेट के टुकड़े, आदि को यलो टेप से सुरक्षित किया जाना

- स्थानीय थाने के 4W प्रभारी के नेतृत्व में अन्य PRV कर्मियों द्वारा घटनास्थल पर उन स्थानों को जहां फिंगर प्रिन्ट ,फुट प्रिन्ट मिलने की सम्भावना हो को सुरक्षित करना तथा न स्वयं छूना और न किसी अन्य को छूने देना

पीआरवी कर्मी की भूमिका (बाल यौन-दुर्व्यवहार)

- मौके की स्थिति का सही आंकलन कर जनपद नियंत्रण कक्ष को आवश्यकतानुसार अतिरिक्त पुलिस बल आदि के लिये सूचित करना
- स्थानीय थाने के 4W प्रभारी द्वारा थानाध्यक्ष एवं क्षेत्राधिकारी को घटना से संज्ञानित करना
- यदि पीड़ित बालिका है तो महिला थानाध्यक्ष/महिला आरक्षी को घटनास्थल पर पहुंचने हेतु जनपद नियंत्रण कक्ष एवं स्थानीय थाने को सूचित करना। यदि अभियुक्तगण मौजूद हों तो हिरासत में लेना
- स्थानीय थाने के थानाध्यक्ष एवं बाल संरक्षण अधिकारी के घटनास्थल पर पहुँचने पर घटनास्थल,पीड़ित एवं अभियुक्तों को उन्हें सुपुर्द कर घटना को स्थानीय थाने को हस्तान्तरित किया जायेगा

पीआरवी कर्मी की भूमिका (कन्या भ्रूण हत्या)

- इस प्रकार के अपराधों के संज्ञेय और गैर जमानती अपराध होने के कारण पुलिस ऐसे मामलों में तुरंत गिरफ्तारी कर सकती है
- ऐसी घटना की सूचना मिलते ही बाल कल्याण समिति को भी तुरंत सूचना देनी होती है, जिससे कि किसी भी स्थिति में पीड़ित को संरक्षण मिल सके
- इसके अलावा पीआरवी पुलिस कर्मियों को ऐसी घटना की तात्कालिक सूचना "1098" को भी देनी चाहिए, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर बच्चों की समस्या का निदान करने में एक्सपर्ट है

पीआरवी कर्मी की भूमिका (शिशु हत्या)

- इस प्रकार के अपराधों के संज्ञेय और गैर जमानती अपराध होने के कारण पुलिस ऐसे मामलों में तुरंत गिरफ्तारी कर सकती है
- ऐसी घटना की सूचना मिलते ही बाल कल्याण समिति को भी तुरंत सूचना देनी होती है, जिससे कि किसी भी स्थिति में पीड़ित को संरक्षण मिल सके
- इसके अलावा पीआरवी पुलिस कर्मियों को ऐसी घटना की तात्कालिक सूचना “1098” को भी देनी चाहिए, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर बच्चों की समस्या का निदान करने में एक्सपर्ट है

पीआरवी कर्मी की भूमिका (बाल-बलि)

- इस प्रकार के अपराधों के संज्ञेय और गैर जमानती अपराध होने के कारण पुलिस ऐसे मामलों में तुरंत गिरफ्तारी कर सकती है
- ऐसी घटना की सूचना मिलते ही बाल कल्याण समिति को भी तुरंत सूचना देनी होती है, जिससे कि किसी भी स्थिति में पीड़ित को संरक्षण मिल सके
- इसके अलावा पीआरवी पुलिस कर्मियों को ऐसी घटना की तात्कालिक सूचना "1098" को भी देनी चाहिए, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर बच्चों की समस्या का निदान करने में एक्सपर्ट है

पीआरवी कर्मी की भूमिका (बंधुआ मजदूरी)

- स्थानीय थाने के 4W प्रभारी द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर बालक/ बालिका को अपनी सुरक्षित अभिरक्षा में रखना, बालक के साथ नम्र व्यवहार करना एवं उसे सुरक्षा का एहसास कराना एवं मौके पर मौजूद अभियुक्तों को हिरासत में लेना

- बालक/ बालिका को विश्वास में लेकर उसके माता-पिता / अभिभावक के विषय में जानकारी कर यथा सम्भव सूचित करने का प्रयास करना

- यदि बच्चा बालिका है तो स्थानीय थाने से महिला आरक्षी बुलाने हेतु थानाध्यक्ष /जनपद नियंत्रण कक्ष को सूचित करना
- यदि बालक/ बालिका बीमार है तो उसे एम्बुलेंस से अस्पताल रवाना कराना
- 4W प्रभारी द्वारा पीड़ित बच्चे, दोषी व्यक्ति आदि को स्थानीय थाने पर ले जाकर थाने पर नियुक्त बाल संरक्षण अधिकारी अथवा उनकी अनुपलब्धता

पीआरवी कर्मी की भूमिका (बाल अपहरण)

- यदि अपहृता बालिका है तो महिला आरक्षी को मौके पर भेजने हेतु जनपद नियंत्रण कक्ष को अवगत कराना

- यदि घटना पूर्व में घटित हो चुकी है तो अपहृत के परिजनों को स्थानीय थाने ले जाकर प्रकरण को स्थानीय थाने के थानाध्यक्ष अथवा उनकी अनुपलब्धता की स्थिति में थाने के प्रतिनिधि (रात्रि/ दिवसाधिकारी या हे0मो0/ कां0 मो0) को हस्तानांतरित करना

- यदि घटना तत्काल घटित हुई हो तो स्थानीय थाने के 4W प्रभारी द्वारा अन्य PRV कर्मियों के सहयोग से वाहन का रजिस्टेशन नं0, प्रकार एवं रंग तथा अपहरणकर्ताओं की संख्या, कपड़े, हुलिया एवं भागने की दिशा की जानकारी कर स्वयं पीछा करना तथा सम्पूर्ण जनपद में चेकिंग हेतु समस्त सूचनाओं से जनपद नियंत्रण कक्ष को अवगत कराना

- बरामदगी की दशा में अपहृत, अपहरणकर्ताओं को स्थानीय थाने ले जाकर

पीआरवी कर्मी की भूमिका (बाल अपहरण)

- स्थानीय थाने के 4W के MDT संचालक द्वारा घटनास्थल एवं अन्य कृत कार्यवाही की वीडियोग्राफी कर MDT में सुरक्षित किया जायेगा

सूचित किये जाने वाले अधिकारी का नाम

अपर पुलिस महानिदेशक (का0व्य0) उ0प्र0, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस महानिदेशक, होम कन्ट्रोल , थाना प्रभारी, पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक, क्षेत्राधिकारी

पीआरवी कर्मी की भूमिका (बाल-व्यापार)

- स्थानीय थाने के 4W प्रभारी द्वारा स्थानीय थाने के प्रतिनिधि के पहुंचने तक बच्चों को अपने सुरक्षित अभिरक्षा में रखना एवं उनके साथ नम्र व्यवहार करते हुए उन्हें सुरक्षा का बोध कराना
- स्थानीय थाने के 4W प्रभारी द्वारा स्थानीय थाने के प्रतिनिधि के पहुंचने तक तस्करी में लिप्त अभियुक्तों को स्थानीय थाने की पुलिस के पहुंचने तक अपनी हिरासत में रखना
- स्थानीय थाने के 4W प्रभारी द्वारा बच्चों के साथ नम्र व्यवहार करते हुए उन्हे विश्वास में लेकर उनके माता-पिता/अभिभावक के विषय में जानकारी कर उन्हे सूचित करना

पीआरवी कर्मी की भूमिका (बाल-व्यापार)

- स्थानीय थाने के 4W प्रभारी द्वारा यदि कोई बच्चा बीमार हो तो ऐसी स्थिति में बच्चे को एम्बुलेंस में अस्पताल रवाना करना
- यदि बच्चा बालिका है तो स्थानीय थाने से महिला आरक्षी बुलाने हेतु जनपद नियंत्रण कक्ष को सूचित करना। मौके की स्थिति का सही आंकलन कर अतिरिक्त पुलिस बल के लिये जनपद नियंत्रणकक्ष को सूचित करना तथा थानाध्यक्ष एवं क्षेत्राधिकारी को घटना की सूचना देना
- स्थानीय थाने के थानाध्यक्ष के घटनास्थल पर पहुँचने पर घटनास्थल, बच्चों एवं अभियुक्तगण को उन्हें सुपुर्द कर घटना को स्थानीय थाने को हस्तान्तरित किया जायेगा

सूचित किये जाने वाले अधिकारी का नाम

पीआरवी कर्मी की भूमिका (बाल-विवाह)

- स्थानीय थाने के 4W प्रभारी द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति की जानकारी कर आवश्यकतानुरूप अतिरिक्त पुलिस बल के लिये जनपद नियंत्रण कक्ष को सूचित करना। थानाध्यक्ष को घटना की सूचना देना।
- सूचना की सत्यता के विषय में जानकारी करने का प्रयास करना, इस परिप्रेक्ष्य में बालक एवं बालिका के नगरपालिका /नगर निगम / अस्पताल / स्कूल से जारी जन्म प्रमाणपत्र व अन्य अभिलेखों का प्रशिक्षण किया जा सकता है , यदि दूल्हा या दुल्हन नाबालिग हैं तो शादी रुकवाना एवं शादी के दोनों पक्षों, पण्डित, नाई एवं दूल्हे एवं दुल्हन के परिजनों को स्थानीय पुलिस के घटनास्थल पर पहुंचने तक रोक कर रखना।
- स्थानीय थाने के थानाध्यक्ष के घटनास्थल पर पहुँचने पर घटनास्थल एवं बाल दूल्हा एवं दुल्हन आदि एवं अभियुक्तगण को उन्हें सुपुर्द कर घटना को स्थानीय थाने के प्रतिनिधि को हस्तान्तरित किया जायेगा।

बच्चों से सम्बन्धी मामलों में PRV कर्मियों को आने वाली समस्याएँ

- PRV को बच्चों से सम्बन्धित सूचना प्राप्त होने पर उनके पते की जानकारी प्राप्त करने में
- बच्चों द्वारा सूचना देने पर परिवारजन द्वारा घटना को नकारते हुए कहना कि सूचना गलत है
- बच्चों की गुमशुदगी के मामले में सम्बन्धित थाना का सहयोग न मिलना
- चाइल्ड लाइन को सूचित करने पर विलम्ब से आना
- बच्चे कई बार पुलिस कर्मियों से अपनी समस्या साझा नहीं कर पाते हैं
- पुलिस कर्मियों को वर्दी में देखकर बच्चों का भयभीत होना

हेल्प लाइन

- 1098 चाइल्ड लाइन

चाइल्ड हेल्प लाइन-1098

1098 एक ऐसा सम्पर्क नंबर जो पूरे भारत के लाखों बच्चों के लिए आशा की किरण है,सहायता के लिए बच्चों के लिए भारत की पहली 24 घंटे की निःशुल्क, आपातकालीन फोन सेवा है।

चाइल्ड लाइन एक ऐसा मंच है जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, दूरसंचार विभाग, सड़क और सामुदायिक युवाओं, गैर-लाभकारी संगठनों, शैक्षणिक संस्थानों, कॉर्पोरेट क्षेत्र और संबंधित व्यक्तियों को एक साथ लाता है।

क्विज़

- Full form of Pocso
- 1 Protection of Children from Sexual Offense
- 2 Protection of Children from Sexual Offenses
- 3 Protect of Children from Sexual Offenses
- 4 इस में से कोई नहीं

उत्तर: Protection of Children from Sexual Offences

क्विज़

- हिंसा कितने प्रकार के होती है?
  - 3
  - 4
  - 5
  - 2

उत्तर: 4 (शारीरिक, सामाजिक, आर्थिक एवं मानसिक)

क्विज़

- अपहरण तथा व्यपहरण में क्या अंतर है? वर्णन करें

उत्तर:

व्यपहरण- 16 वर्ष से कम आयु के पुरूष अथवा 18 वर्ष से कम आयु की महिला या किसी विकृत्वित्त व्यक्ति को उसके विधिक संरक्षक की सहमति के बिना ले जाना या बहकाकर ले जाना या किसी व्यक्ति को उसकी सहमति के बिना भारत से बाहर ले जाना

अपहरण- किसी व्यक्ति को किसी स्थान से जाने के लिए बल द्वारा विवश करना या प्रवेचनापूर्ण उपायों द्वारा उत्प्रेरित करना।

प्रश्नोत्तर

निष्कर्ष

सन्दर्भ

क्र०सं०	विभाग/संस्था/मंत्रालय/प्रकाशक	यूआरएल/रिपोर्ट/प्रकाशन
1.	NCRB	
2.	Ministry of Women and Child Development	www.wcd.nic.in/about-us/about-ministry
3.	CRY	https://www.cry.org/

112 आपात सेवा सोशल मीडिया

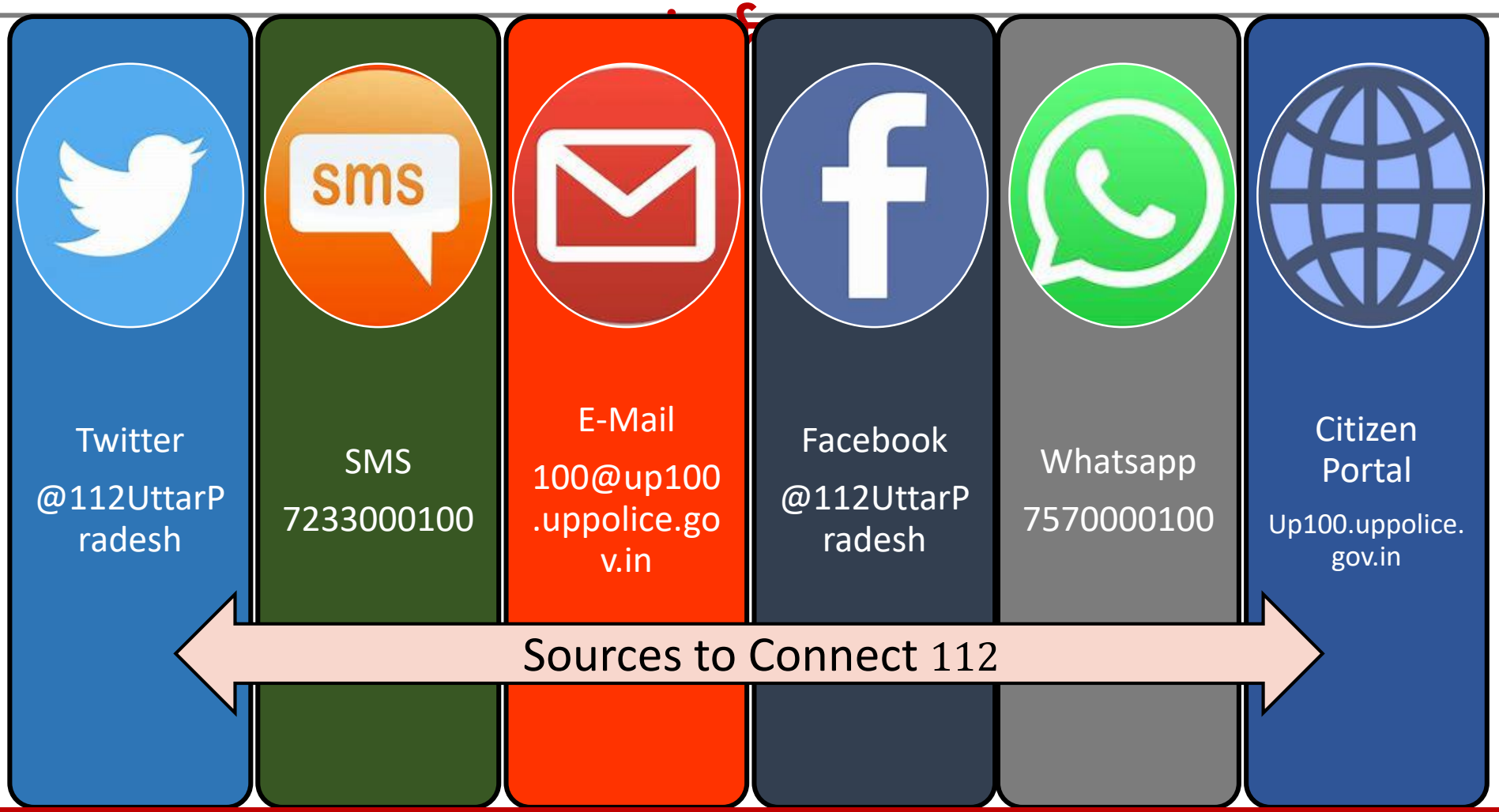

धन्यवाद!